**9. भागीदारी का विलेख**

भागीदारी का विलेख तारीख ................... ................... को .................. ................... में प्रस्तुत किया गया।

**के बीच**

श्री ..................... ................... पुत्र ....................... ................... निवासी .................. (इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया) तथा श्री ........... ................... पुत्र ....... ........ निवासी ................... (इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया) यतः पक्षकारों ने इसमें इसके पश्चात विद्यमान रहने वाली शर्तों एवम् निबन्धनों पर ..................... में तारीख ................... को ................... के नाम एवम् स्टाइल से ..................... के कारबार को चालू रखने के लिए करार किया है;

1. यह कि भागीदारी ........... ................... से प्रारम्भ होना समझा जायेगी और इसको ही इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से अवधारित कर दिया जाने तक चालू रहेगी।
2. यह कि भागीदारी का कारबार ................. ................... का होगा
3. यह कि भागीदारी का कारबार ................... ................... या ऐसे स्थान या स्थानों पर होगा जिसका पक्षकारगण समय-समय पर विनिश्चय कर सकेगें।
4. यह कि भागीदारी का बैंककारी लेखाकार ................... ................... के साथ या ऐसे दूसरे बैंक के साथ खोला जायेगा और कथित खाता संयुक्त रूप से या पृथक तौर पर पक्षकारों द्वारा चालू रखा जायेगा।
5. यह कि प्रत्येक पक्षकारगण समानुपात में भागीदारी की पूंजी में अभिदाय करेगें।
6. यह कि भागीदारी कारबार के लाभ व हानियाँ एक समान अनुपात में पक्षकारों के बीच विभक्त कर दी जायेगी।
7. यह कि सभी आवश्यक एवम् उचित लेखा वही फर्म द्वारा रखे जायेगें और खाते की लेखा परीक्षा चार्टड लेखाकर द्वारा करायी जायेगी।
8. यह कि पक्षकारगण फर्म के कारबार को अपना संपूर्ण समय एवम् ध्यान समर्पित करेंगे।
9. यह कि यदि कोई भी पक्षकार .................. ................... फर्म से सेवानिवृत्त होना चाहता है तो वह भागीदारी से सेवानिवृत्त होने के लिए उसके आशय की लिखित तीन महीने से न कम की नोटिस दूसरे पक्षकार को देकर वैसा कर सकता है।
10. यह कि कोई विवाद या मतभेद भागीदारी या इस विलेख के संगत माध्यस्थम को निर्देशित किया जायेगा और प्रत्येक भागीदार एक माध्यस्थम को नियुक्त करने का हकदार होगा। कथित माध्यस्थम को भारतीय माध्यस्थम अधिनियम, 1940 या किसी कानूनी उपांतरण या तत्समय अमृत उसके पुनः अधिनियमिति के उपबंधों द्वारा शासित किया जायेगा।

**जिसके साक्ष्य में पक्षकारगण इसमें इसके ऊपर लिखित दिन महीना और वर्ष को अभिदाय किया है और अपना हस्ताक्षर किया है।**

साक्षीगण

1. ................... प्रथम पक्षकार

2. ................... द्वितीय पक्षकार